न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व प्रा० पत्र सं० : 32/2019 (177/2019)
GCMS NO. : **2019/00040**

–:: सायल ::–	बनाम	–:: गैरसायलान ::–
1. मदनलाल पुत्र पूनाराम जाति– बावरी निवासी रामावास कलां तह० जैतारण जिला पाली।		1. मुल्तान पुत्र पूनाराम 2. दुर्गाराम पुत्र मोहनलाल 3. जंवताराम पुत्र गोपू 4. जयराम पुत्र गोपू 5. सुकडी बेवा गोपू 6. रमेश पुत्र मांगीलाल 7. रामनिवास पुत्र मांगीलाल 8. दिनेश पुत्र मांगीलाल 9. केलकी पुत्री मांगीलाल 10. सन्तोष पुत्री मांगीलाल 11. गणकी पुत्री मांगीलाल 12. खेताई बेवा मांगीलाल 13. काना पुत्र बंशी 14. गणपत पुत्र बंशी 15. गायड पुत्र बंशी 16. देवा पुत्र बंशी 17. शांति पुत्री बंशी 18. गोरकी पुत्री बंशी 19. भेणा पुत्र भीरम जातियान–बावरी निवासीगण– रामावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली। 20. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण 21. हल्का पटवारी रामावास कलां 22. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

Signature Not Verified

तारीख रजू: 25/09/2019

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पंडित, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 29/07/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायलान कि संयुक्त पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा खातीखेडा पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) में स्थित हैं। जिसके खाता संख्या 80 खसरा नम्बर 07 रकबा 5–13 बीघा स्थित हैं उक्त आराजी कि कृषि भूमि में सायल एवं गैरसायलान 01 से 20 तक अपने अपने हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त हैं ओर बिना किसी रोक–टोक के शांतिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं नकल प्रमाणित प्रतिलिपी खतौनी बन्दोबस्त प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। सायल मदनलाल एवं गैरसायल संख्या 01 मुल्तान के परिवार का वंश वृक्ष प्रा.पत्र में अंकित है। वंशावली अनुसार सायल एव गैरसायल संख्या 01 मुल्तान एक ही दादा खूमा के वारिशान हैं यानि एक ही पिता की जायन्दा सन्तान हैं ओर सगे भाई हैं। जो संयुक्त हिन्दु परिवार कि अविभक्त कृषि भूमि पर काबिज हैं उक्त आराजी कि कृषि भूमि में सायल का 1/2 हिस्से का 1/3 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा व गैरसायल संख्या 01 का 1/2 हिस्से का 1/3 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त हैं तथा मना–गना बंटवाडा किया हुआ हैं और शांतिपूर्वक बिना किसी रोक–टोक के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 में खसरा नम्बर 7 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कि कृषि भूमि में जरिये नामान्तरणकरण संख्या 40 के अनुसार गैरसायल संख्या एक मुल्तान का नाम 1/2 हिस्से में राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी ने अमल दरामद किया गया जो लगातार सम्वत् 2074 से 2077 तक खातेदारी में दर्ज हैं। जो उक्त आराजी खसरा नम्बर कि कृषि भूमि सायल एवं गैरसायल संख्या एक के पिता पूना ने संयुक्त परिवार में रहते हुये अपनी आय से खरीद की थी एवं संयुक्त परिवार में रहते हुये मुल्तान सबसे बडा पुत्र था एवं सायल मदनलाल छोटा था इसलिये सायल के पिता स्वर्गीय पुना पुत्र खूमा ने मंगाराम पुत्र लिछमण व भूराराम पुत्र मंगाराम जातियान चौकीदार निवासी रामावास खुर्द से रूपये 600 अक्षरे छः सौ रूपये में दिनांक 24.11.1973 को खरीद कर बेचान रजिस्ट्री जेष्ठ पुत्र गैरसायल संख्या 01 मुल्तान के नाम से करवायी। इस बेचान के आधार पर हल्का पटवारी ने जरिये म्युटेशन संख्या 40 दिनांक 20.02.74 को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाकर पंचायत की बैठक में दिनांक 11.06.74 को सरपंच ग्राम पंचायत गरनिया द्वारा स्वीकृत होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया तब से लगातार आज तक गैरसायल संख्या 01 मुल्तान का नाम राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा है। संयुक्त परिवार के रहते एवं पूना की आय से खरीदी गई उक्त आराजी कि कृषि भूमि के उत्तराधिकारी होने से उक्त आराजी के भूमि में सायल का हक एवं मालिकाना अधिकार हैं जबकि उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

कि कृषि भूमि में सायल का 1/2 का 1/3 यानि 1/6 हिस्सा हैं इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त हैं ओर शांतिपूर्वक बिना किसी रोक-टोक के उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा हैं। प्रमाणित प्रति म्युटेशन संख्या 40 प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा नम्बर 7 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कि कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की खरीद सुदा हैं। सायल का 1/2 का 1/3 यानि 1/6 हिस्सा हैं जो एज ऑफ राईट के बिना किसी रोक-टोक के उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है एवं मौके पर कब्जा काश्त हैं। सायल एवं गैरसायल संख्या एक के पिता स्वर्गीय पूनाराम ने अपने जीवन काल में ही बंटवाडा किया था और गैरसायल संख्या एक मुल्तान को कहा था कि मदनलाल बडा हो जाये तब सायल मदनलाल के हिस्से कि कृषि भूमि को इसके नाम से बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड में सायल का नाम अमल दरामद करवा देना क्योंकि संयुक्त हिन्दु परिवार के रहते हुये स्वर्गीय पूनाराम ने अपने निजी आप से खरीद की थी इसलिये सायल को 1/2 का 1/3 यानि 1/6 हिस्से कि कृषि भूमि में हिंस्सा हैं इसी हिस्से अनुसार उक्त आराजी कि कृषि भूमि में अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का कानूनी रूप से अधिकार हैं जो बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। गैरसायल संख्या एक मुल्तान का अकेले का नाम राजस्व रेकर्ड में होने से सायल ने गैरसायल संख्या एक को कई बार कहा कि मेरा नाम राजस्व रेकर्ड खातेदारी में दर्ज कराओ तो सायल द्वारा बार-बार निवेदन करने पर भी कोई सन्तोष जनक जवाब नहीं दिया ओर पिछले कई बर्षो से आनाकानी करता आ रहा है। किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा हैं जो इसलिये सायल गैरसायल संख्या एक को ऐसा हरगीज नहीं करने देगा। इसलिये गैरसायलान के विरूद्ध दावा बाबत् बंटवाडा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी कि सेवा में पेश किया जा रहा हैं। गैरसायल संख्या एक मुल्तान का खातेदारी में नाम दर्ज होने यदि किसी अजनबी क्रेता को प्रतिफल कि राशि लेकर बेचान रजिस्ट्री कराने में सफल हो जाता है तो सायल अपने कानूनी जायज हक हकुको एवं मालिकाना अधिकार एवं साम्पेतिक अधिकारों से वंचित रह जायेगा। सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगी। सायल गरीब काश्तकार हैं जो प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा नम्बरान कि कृषि भूमि में अपने हिस्से माफिक काश्त करके इससे होने वाली आय से अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं इसके अलावा सायल के पास अन्य कोई आय का कोई स्रोत नहीं है। यदि सायल को गैरसायल संख्या एक ने लाठी के बल पर बेदखल कर दिया एवं किसी अजनबी क्रेता व्यक्ति को बेचान बख्शीश, रहन, हस्तान्तरण व वसीयत कर देता है तो सायल के परिवार के सदस्यों के भूखे मरने कि नोबत आयेगी। घोषणा का अनुतोष गैरसायल संख्या एक मुल्तान [illegible] गया हैं गैरसायल संख्या दो से बीस तक सह खातेदार काश्तकार [illegible] पक्षकार बनाया गया। गैरसायलान संख्या इक्कीस से [illegible] सरकार के प्रतिनिधि एवं अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हैं इसलिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने कि स्वीकृति हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र अलग से वादपत्र के साथ अनुमति हेतु अलग से प्रार्थनापत्र पेश हैं। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों व मौके पर सायल का कब्जा काश्त हैं इसलिये प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में हर दृष्टिकोण से बखूबी साबित हैं। यदि गैरसायल संख्या एक अपने नाम का नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त कृषि भूमि को गैरसायल एक मुल्तान किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचान, बख्शीश, रहन, हस्तान्तरण व वसीयत आदि नहीं करे एवं गैरसायल संख्या एक सायल को लाठी के बल पर बेदखल नहीं करे यदि कर दिया एवं किसी स्ट्रेन्जर अजनबी व्यक्ति को बेचान, बख्शीश रहन हस्तान्तरण व वसीयत कर दिया तो सायल अपने साम्पेतिक अधिकारों एवं खातेदारी काश्तकारी अधिकारों एवं अपने मालिकाना अधिकारो से महरूम रह जायेगा एवं सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी व विविध प्रकार के मुकदमे बाजी होगी जिसमें सायल को खर्चे से जेरबार होना पड़ेगा। इसलिये प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थनापत्र शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन हैं कि सरहद मौजा खातीखेडा में स्थित कृषि भूमि जो प्रार्थनापत्र में दर्शाये खसरा नम्बर 07 रकबा 05–13 बिस्वा कृषि भूमि में सायल का 1/2 का 1/3 यानि 1/6 हिस्सा हैं इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त हैं सायल के कब्जे काश्त में गैरसायल संख्या एक स्वयं इसके नोकर चाकर हाली एजेन्ट मजदूर एवं परिवार गैरकानूनी रूप से दखलन्दाजी नहीं करे न ही लाठी के के सदस्य किसी भी तरह बल पर बेदखल करे व उक्त भूमि में गैरसायल संख्या एक का अकेले का ही नाम गलत दर्ज हैं जबकि सायल का भी नाम दर्ज होना चाहिए था। जो गैरसायल संख्या एक मुल्तान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से नाजायज फायदा उठाकर किसी अजनबी क्रेता व्यक्ति को बेचान, बख्शीश, रहन, हस्तान्तरण व वसीयत नहीं करे गैरसायल संख्या एक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावें व राजस्व रेकर्ड व वर्तमान मौके कि स्थिति को यथावत बनाये रखे। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा सायल के पक्ष में गैरसायल संख्या एक के विरूद्ध जारी फरमावे प्रार्थनापत्र कि रूह से अन्य कोई सहायता जो सायल प्राप्त करने का अधिकारी हैं जो दिलवायी जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 2 से 16 व 18 से 20 के बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1 मुलतान की ओर से जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रार्थना–पत्र सा.मि. है।

गैरसायल संख्या 1 द्वारा [illegible] जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 07 [illegible] दर्ज होने के कथन सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वंशावली [illegible] सही होने से स्वीकार है। लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

जवाब देहन्दा एवं मदनलाल वगैराह अपने पिता पुनाराम के जीवनकाल में ही आज से करीब 50 वर्ष पूर्व अलग–अलग हो गये थे तथा अलग होने के बाद जवाब देहन्दा मुलतानराम ने भूमि के खातेदार भूराराम व अन्य से उनके हक हिस्से की 1/2 वें हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध बैचाननामें के खरीद की है तथा इस भूमि में सायल मदनलाल का कोई हक–हिस्सा व अधिकार नहीं है न ही मौके पर सायल का कोई कब्जा काश्त है। वास्तविकता में सायल मदनलाल एवं जवाब देहन्दा मुलतान जी अपने पिताजी पुनाराम जी से वर्ष 1970 में यानि लगभग 50 वर्ष पूर्व अलग हो गये थे तथा अलग–अलग ही जीवन यापन करते थे। इस प्रकार से मुलतान राम ने अपने पिताजी से 50 वर्ष पूर्व अलग होने के बाद से अपनी स्वयं की निजी कमाई से इस प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बर 07 व 15 की भूमिया जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख के अपने स्वयं के नाम से खरीद की है। जिसमें मदनलाल या अन्य किसी भी व्यक्ति का हक–हिस्सा व अधिकार नहीं रहा है। इन भूमियो के सम्बन्ध में मदनलाल वगैराह निराधार विवाद कर रहे है जो कतई गलत है। इस प्रकार से मौके से सायल पूर्णतया आउट ऑफ पजेशन है। इस पद में सायल ने अपना कब्जा होना एवं बंटवाड़ा किया हुआ होने से सम्बन्धित झूठे तथ्यों का समावेश किया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। साथ ही इस भूमि में सायल ने अपना 1/6 वां हिस्सा भी होना झूठा उल्लेखित किया है। जवाब देहन्दा के द्वारा भूमि 1973 में खरीद करने एवं नामान्तकरण संख्या 40 के तथ्य सही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4, 5, 6, 7 व 10में वर्णित कथन व जवाब देहन्दा पर लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायल ने झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये मल्टीप्लीसीटी ऑफ प्रोसिंडिग्स होने एवं अपने आप को अपूरणीय क्षति होने से सम्बन्धित झूठे कथन लिखते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र के जरिये सायल घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 8 व 9 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत के है। इसलिए समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायल ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का विश्लेषण विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 7 रकबा 5–13 बीघा पर प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 20 तक माफिक हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 मुलतान एक ही दादा खुमा के वारिसान एवं सगे भाई है। वादग्रस्त आराजी सायल एवं गैरसायल संख्या 1 के पिता पूना ने संयुक्त परिवार में रहते हुए अपनी आय से अपने बडे पुत्र मुल्तान के नाम दिनांक 24.11.1973 को क्रय की थी। विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण संख्या 40 दिनांक 20.02.1974 स्वीकृत होकर भू–अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज चल रहा है जो गलत है क्योंकि उक्त भूमि संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई थी।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये पंजिबद्ध बेचान विलेख के स्वयं के नाम क्रय की थी एवं भू–अभिलेख में भी स्वयं के नाम दर्ज है। प्रार्थी का न तो भू–अभिलेख में नाम है न ही मौके पर कोई कब्जा काश्त है एवं न ही प्रार्थी का कोई हक–हिस्सा निहित है।

प्रकरण के मुख्य अनुतोष पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख क्रय की गई थी। प्रार्थी द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख को शून्य घोषित करवाने बाबत् सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही की हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित नहीं होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुआ है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का न तो अभिलिखित खातेदार है न ही प्रश्नगत विक्रय विलेख में प्रार्थी का नाम है। प्रार्थी यह भी साबित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त आराजी में सुविधा का संतुलन किस प्रकार उसके पक्ष में निहित है तथा किस प्रकार उसे अपूरणीय क्षति होने की प्रबल आशंका है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू भली भाँति साबित नहीं होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 29/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested